



न्यायालय: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धरियावद जिला प्रतापगढ़
प्रकरण संख्या 494/2025 रेगुलर फौजदारी
मुकेश बनाम बंशीलाल

दिनांक: 14.03.2026

परिवादी मुकेश ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा प्रार्थनापत्र पेश किया, जिस पर पत्रावली सीगे से तलब कर आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी। लोकअदालत सदस्य उपस्थित। परिवादी ने अभियुक्त से राजीनामा हो जाने से कार्यवाही नहीं चाहने का प्रार्थनापत्र पेश किया। राजीनामा पृथक से राजीनामा प्रार्थनापत्र की पुस्त पर तस्दीक किया गया। राजीनामा संलग्न पत्रावली रहे। अतः बंशीलाल पिता भैरूलाल चौधरी निवासी आदिनाथ कालोनी मुणिया रोड धरियावद जिला प्रतापगढ़ को आरोपित अपराध धारा 138 एन.आई. एक्ट में बरुए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है, अतः पत्रावली फैंसलशुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफतर हो।


राष्ट्रीय लोक अदालत
ताल्लुका विधिक सेवा समिति
धरियावद जिला प्रतापगढ़ (राज.)


अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
ताल्लुका विधिक सेवा समिति
धरियावद जिला प्रतापगढ़ (राज.)

